

शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 05-11-2020, को - BA-III

सामरिक साम्यवाद के उद्देश्य तथा उनकी पूर्ति -
सामरिक साम्यवाद की नीति गृह-युद्ध के कारण
उत्पन्न आर्थिक संकट एवं सैनिक आवश्यकताओं
का परिणाम थी। सोवियत सरकार ने प्रति-क्रांति
(Counter Revolution) के भय से सामरिक साम्यवाद
की नीति अपनाई थी, किसी सिद्धान्त को उद्योग के
रूप में नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य गृह-युद्ध के वक्रे
उपस्थित आर्थिक संकट का निवारण तथा सैनिक आव-
श्यकता की पूर्ति करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति
के लिए उत्पादन के साधनों को राष्ट्रीयकृत किया गया
तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सरकारी नि-
यंत्रण बढ़ाया गया। जून 1918 से लेकर मार्च
1919 तक लगभग 4 हजार कंपनियों का राष्ट्रीयकरण
किया गया। कृषि पदार्थों के आसिवाय आधिग्रहण
तथा कुलत्र-वस्तुओं के विनाश की केंद्रीय व्यवस्था
ने शहरी जनसंख्या एवं सैनिकों का अहित बचा
रिखा तथा युद्ध के लिए आवश्यक सामग्रियों
का उत्पादन सम्भव बनाया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
में सरकारी नियंत्रण एवं प्रशासन के अनुरूप
कई परिवर्तन किए गए। सरकारी विभागों के

लेने देने में बड़ा विनिमय प्रणाली लागू की गई, जिससे साम्यवाद के लिए मार्ग तैयार करने के सहयोग मिला। सामरिक साम्यवाद के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, व्यापार, और अन्न) पर निम्नलिखित नियंत्रण लागू किए गए—

① कृषि — मोरिस जेव के अनुसार "सामरिक साम्यवाद की प्रणाली का आर्थिक मूल (Economic Law) इसी सरकार का कृषकों के साथ सम्बन्ध था।" बोलशेविक क्रांति के पश्चात सरकार की भूमि संबंधी आज्ञापित के परिणामस्वरूप कृषि-क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त हुई थी, वह अर्थव्यवस्था में उत्पन्न स्फीतिक दबावों के कारण समाप्त हो गई। कृषि वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने के कारण कृषि उत्पादन हतोत्साहित हुआ तथा सरकार के लिये सामान्य प्रक्रियाओं द्वारा कृषि पदार्थों की बहुरी कठिन हो गई। ऐसी स्थिति में सरकार ने अनिवार्य अधिग्रहण (Compulsory Requisitioning) की नीति अपनाई।

मई 1918 में जारी आज़ादिके अनुसार कृषक-
परिवारों के उपयोग तथा बीज के लिए आवश्यक
उत्पादन को छोड़कर, शेष उत्पादन को निश्चित
मूल्य पर अभिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाने
लगा। अतिरिक्त उत्पादन की बचत तथा उसे रक्षा,
उद्योग एवं अभिकों के बीच वितरित करने के लिए
'आपूर्ति विभाग' खोला गया। इस व्यवस्था को गाँवों
में लागू करते समय कुछ कठिनाईयाँ दिखाई पड़ी
थी। अतः जून 1918 में जारी आज़ादिके अनुसार
ग्रामीण निपनों की समितियाँ स्थापित की गईं।
चूंकि अभिवार्य अधिग्रहण की नीति से कृषकों में
असंतोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कृषि का क्षेत्र धरा
दिया, जिससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट
आई। इस नीति से मजदूरों और किसानों के बीच
मैत्री-सम्बन्ध अर्थात् 'रिश्ता' भंग होने की सं-
भावना बढ़ गई, जिसपर सम्पूर्ण लक्ष्मी कांति
आधारित थी। अतः सरकार ने ग्रामीण निपनों
की समितियाँ भंग कर दी तथा मध्यवर्गीय किसानों
से पुनः मैत्री सम्बन्धों की स्थापना का प्रयास
प्रारंभ किया। प्रारंभिक आज़ादिके संशोधन
करते हुए सरकार ने कृषि बस्तुओं को तीन श्रेणियों
में विभक्त किया।

- (i) ऐसी वस्तुएँ, जो अनिवार्य रूप से तो बिक्री नहीं जायेगी, किन्तु जिनकी खरीदारी का अधिकार केवल सरकार को होना,
- (ii) अनिवार्य रूप से बिक्री जाने वाली वस्तुएँ
- (iii) खुले बजार में बेची जा सकने वाली वस्तुएँ

इस व्यवस्था से प्रतिक्रिया

स्वल्प कृषि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने लगे। इस प्रवृत्ति को वाक्यांश के लिए सरकार का प्रथम और द्वितीय श्रेणी की वस्तुओं की संख्या बढ़ानी पड़ी। गृह-युद्ध के अन्त तक शायद ही कोई कृषि वस्तुएँ तीसरी श्रेणी में सम्मिलित रह गई हो। इस तरह, कृषि क्षेत्र में 'सरकारी स्वामिकार' की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।